म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / अंके. / मानदेय / 161 पार्ट–3 / 2016 / 4869   भोपाल, दिनांक 30 / 11 / 16

प्रति,

सचिव,

कृषि उपज मंडी समिति,

......सभी....... जिला ......सभी...... (म0प्र0).

विषयः–मंडी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय, सत्कार भत्ता, बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता की स्वीकृत दर।

संदर्भ–म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल का पत्र क्र मंडी–15–7 / 13 / 2016 / 14–3 भोपाल दिनांक 24.11.16

----0----

प्रदेश की मंडी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हेतु मानदेय तथा सत्कार भत्ता एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को मंडी समिति के सम्मेलनो में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता (जिसमें यात्रा व्यय में शामिल है), इसके अतिरिक्त मंडी कार्य के लिए दौरा करने पर मंडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को दैनिक यात्रा भत्ता की दरें संदर्भित पत्र से आदेश जारी दिनांक 24.11.16 से स्वीकृत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। संलग्न आदेश के पालन में आदेश दिनांक 24.11.2016 से उक्त राशि के भुगतान हेतु बजट में प्रावधान कर शेष शर्तो का संलग्न आदेश में दिये अनुसार पालन किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / अंके. / मानदेय / 161 पार्ट–3 / 2016 /   भोपाल, दिनांक / / 16

प्रतिलिपिः–

संयुक्त संचालक / उपसंचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .... की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ।

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–डी–15–7/13/2016/14–3

भोपाल दिनांक 24/11/16

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्रमांक 5927 दि. 26/11/16
शाखा ADD DIR (F)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल ।

विषयः– कृषि उपज मंडी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय, सत्कार भत्ता एवं यात्रा भत्ता वृद्धि बावत् ।

संदर्भः– आपकी एकल नस्ती क्रमांक एम.डी.–एफ/680 दिनांक 30.10.15

—0—

इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक डी–15–48/2000/14–3 दिनांक 15.09.2009 के द्वारा मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय, सत्कार भत्ता बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. मंडी बोर्ड की संदर्भित टीप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य शासन एतद् द्वारा मंडी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 79 (2) छब्बीस के अन्तर्गत निम्नानुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय, यात्रा भत्ता एवं सत्कार भत्ता की स्वीकृति प्रदान करता है :–

2.1. <u>"क" एवं "ख" वर्ग की मंडियों हेतु</u>

(अ)	अध्यक्ष हेतु प्रतिमाह देय मानदेय	रू. 5,000/–
(ब)	उपाध्यक्ष हेतु प्रतिमाह देय मानदेय	रू. 3500/–

2.2. <u>"ग" एवं "घ" वर्ग की मंडियों हेतु</u>

(अ)	अध्यक्ष हेतु प्रतिमाह देय मानदेय	रू. 3,500/–
(ब)	उपाध्यक्ष हेतु प्रतिमाह देय मानदेय	रू. 2,500/–

2.3. <u>"क" एवं "ख" वर्ग की मंडियों हेतु</u>

(अ)	अध्यक्ष हेतु प्रतिमाह देय सत्कार भत्ता	रू. 1500/–
(ब)	उपाध्यक्ष हेतु प्रतिमाह देय सत्कार भत्ता	रू. 1,000/–

2.4. <u>"ग" एवं "घ" वर्ग की मंडियों हेतु</u>

(अ)	अध्यक्ष हेतु प्रतिमाह देय सत्कार भत्ता	रू. 1,000/–
(ब)	उपाध्यक्ष हेतु प्रतिमाह देय सत्कार भत्ता	रू. 1,000/–

3. इसके अतिरिक्त मंडी समिति के सम्मेलनो में भाग लेने हेतु मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठक भत्ता जिसमें यात्रा व्यय भी शामिल है रू. 500/– स्वीकार किया जावेगा।

AD(F) 73
29/11/16

(P.T.O.)

4. मंडी कार्य के लिये दौरा करने पर मंडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को इस प्रकार दर स्वीकृत की जाती है:—

क	पद	मंडी कार्य से दौरा करने पर दैनिक यात्रा भत्ता की दरें			
		साधारण दर	प्रदेश के 4 महानगर एवं प्रदेश के बाहर (कालम क. 5 को छोडकर)	दिल्ली, मम्बई, कोलकता, चेन्नई, बेगलूर, हैदराबाद, कानपुर, एवं पुणे	माह में अधिकतम अनुज्ञेय राशि
1	2	3	4	5	6
1	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष	160/—	240/—	320/—	640/—
2	सदस्य	120/—	180/—	240/—	480/—

5. उपरोक्त यात्रा के लिये दैनिक भत्ते की दरें मंडी समिति के पदेन सदस्यों को लागू नही होगी, एवं मंडी कार्य के लिये यात्रा करने पर मंडी बोर्ड के निर्देश पत्र क्रमांक बी–3/3/440 भोपाल दिनांक 18.07.2000 की शेष शर्ते यथावत पूर्व की भांति प्रभावशील रहेगी।

6. कृषि उपज मंडी समितियो को उपरोक्त मदों में व्यय के लिये किसी [illegible] अनुदान/ऋण की पात्रता नही होगी।

7. उपरोक्त परिवर्तित दरें आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय गुप्ता)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग